इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र-व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

सं० ३९७५ग।५-२३।६३

प्रेषक

श्री श्रीलाल शुक्ल, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुर्वैदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा (क) विभाग,

दिनांक लखनऊ 25 सितम्बर, १९६७।

महोदय,

विषय:-भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश को अखिल भारतीय विद्यापीठ, दिल्ली, गुरुकुल, वृंदावन, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, जिला सहारनपुर आदि संस्थाओं को मान्यता देने से रोकना।

उपर्युक्त विषयक आपके अर्ध शासकीय पत्र सं०१०१५४।७३७।६०, दिनांक १२ जून, १९६७, के संदर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उक्त विषय में विचार करने के पश्चात राज्यपाल महोदय ने इन्डियन मैडिसिन ऐक्ट की धारा ३६(सी) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से अखिल भारतीय विद्यापीठ, दिल्ली, गुरुकुल, वृन्दावन, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, जिला सहारनपुर आदि उन संस्थाओं को, जो प्रदेश में शिक्षण तथा परीक्षा आदि के विषयों में परिषद से सम्बद्ध नहीं हैं, उपाधि को रजिस्ट्रेशन के निमित्त मान्यता न प्रदान करें और इसकी सूचना शासन को दें।

भवदीय,

ह० (श्रीलाल शुक्ल)
उप सचिव।

सं० 3964 (१)ग।५-२३।६३

प्रतिलिपि रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

आज्ञा से,

(श्रीलाल शुक्ल)
उप सचिव

सं0 2343(1)ग/5-

प्रतिलिपि आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूच

प्रेषित ।

आज्ञा से,

(...)
(...)

सत्य प्रतिलिपि

रजिस्ट्रार
भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0 प्र0
7, लालबाग, लखनऊ

श्रीवास्तव/8-7-83

Scanned by CamScanner

सं०२०४३ग।५

प्रेषक श्री श्रीलाल शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र-व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उक्त विभाग का नाम दिया जाय।

सेवा में,
अध्यक्ष,
भारतीय चिकित्सा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिनांक लखनऊ ... अप्रैल, १९६९

चिकित्सा (ग) विभाग,

विषय:-अखिल भारतीय विद्यापीठ, दिल्ली, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग इत्यादि संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली उपाधि तथा प्रमाणपत्रों के प्राप्तकर्ताओं के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबन्ध।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ३१७५ग।५-७१४/६३ दिनांक २८ सितम्बर, १९६७ की ओर आकर्षित करते हुये आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस सम्बन्ध में परिषद तथा द्वारा संस्थाओं का ओर से आये हुये प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् शासन का यह मत है कि रजिस्ट्रेशन के मामले में फिलहाल उन अभ्यर्थियों को कोई असुविधा न होनी चाहिये जो संस्थागत रूप से इस समय विद्याध्ययन कर रहे हैं और चार वर्ष का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। किन्तु यह बात उन्हीं अभ्यर्थियों पर लागू होगी जिन्होंने इन संस्थाओं में अब तक प्रवेश पा लिया है। १९६८ से आरम्भ होने वाले सत्र से इन संस्थाओं में तब तक कोई भर्ती नहीं होनी चाहिए जब तक कि ये संस्थायें अपने आपको परिषद द्वारा स्वीकृत स्तर पर नहीं ले आतीं और परिषद से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को नहीं अपना लेतीं।

२-जहां तक उन संस्थाओं का सम्बन्ध है जो केवल परीक्षायें लेती हैं, उनसे पास होने वाले अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन के विषय में परिषद को इस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि परीक्षा में बैठने के लिये उनका न्यूनतम शैक्षिक स्तर क्या निर्धारित किया गया है और उस परीक्षा का स्तर कैसा है। इस विषय पर परिषद पूरी तरह से विचार करके कृपया शासन को राय दे कि इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार सम्भव हो सकता है। यह राय भी केवल उन्हीं विद्यार्थियों के बारे में लागू होगी जिन्होंने इस वर्ष तक इस तरह की निम्न परीक्षायें दी हैं और उच्चतर परीक्षा देने के लिए तैयारी कर चुके हैं। भविष्य में इस प्रकार की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिये रजिस्ट्रेशन का प्रश्न नहीं उठेगा। इस सम्बन्ध में किसी शंका समाधान की आवश्यकता हो तो कृपया शीघ्र शासन से परामर्श कर लें।

३-इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करना है कि शासन की इस सम्बन्ध में नीति यही है कि भविष्य में केवल उन्हीं संस्थाओं से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिलनी चाहिये जो परिषद द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम संस्थागत रूप से चलाती हैं और विद्यार्थियों को चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण उचित रूप से देती हैं। इन संस्थाओं को परिषद से मान्यता भी प्राप्त करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई ऐसी संस्था हो जो परिषद के अतिरिक्त किसी दूसरी वैधानिक संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम चलाती है तो उसके बारे में यह देखा जाना चाहिये कि प्रवेश के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रम की अवधि आदि के मामलों में उस कोर्स का स्तर कम तो नहीं है या नहीं जो कि परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का है और यदि उसका स्तर नीचा जान पड़े तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिये।

भवदीय,

(श्रीलाल शुक्ल)
उप सचिव

सं०२०४३(१)ग।५-

प्रतिलिपि आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

ह० (श्रीलाल शुक्ल)
उप सचिव।

(79)

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

PART II. SECTION 3, SUB-SECTION (II)

No. V.26011/4/76-Ay. Desk
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 10th Sept.,76.

N O T I F I C A T I O N

In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government hereby appoints the Ist day of October, 1976, as the date on which the provisions of section 17 and section 23 to 31 (both inclusive) of the said Act shall come into force in the whole of India.

Sd/-
(SHARVAN KUMAR)
JOINT SECRETARY

To,

The Manager,
Government of India Press
Industrial Area Mayapuri,
Ring Road,
NEW DELHI-27

Copy forwarded for information to:

1. All State Governments/Union Territories
2. All Directors/Deputy Directors/Special Officers of Indian Medicine in the States.
3. Registrars of All State Boards of Indian Medicine.
4. Registrars of All Universities having faculties or Departments of Indian Medicine.
5. Principals of All Colleges of Indian Medicine.
6. Adviser (ISM).
7. The Director General of Health Services, New Delhi.
8. A.P.C. Cell.
9. Homoeopathic Desk.
10. The Secretary, Central Council of Indian Medicine, 1-E/6, Jhandewalan Extension, New Delhi-110 055.
11. Ministry of Law (Legislative Department).
12. Ministry of Law (Legal Affairs Department).
13. Copy forwarded for information to :
    - (i) S.A. to H.M.
    - (ii) S.A. to M.S.
    - (iii) P.S. to D.M.
    - (iv) P.S. to Secretary/Addl. Secretary (H).
    - (v) S.P.A. to U.S. (K)/J.S. (S).
    - (vi) P.A. to D.S. (PH).

Sd/-
(ANAND PARKASH ATRI)
DEPUTY SECRETARY

NM* 30888.

Scanned by CamScanner

संख्या-1256/71-2/[illegible]-409/95

प्रेषक,

श्री श्याम सुन्दर दुबे
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार
भारतीय चिकित्सा परिषद
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक-28 अप्रैल, 1998

विषय:- [illegible] डिप्लोमा पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण छात्रों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 6.11.95 दि० 8.10.96 तथा दिनांक 23.5.97 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या-22700 आफ 1995 [illegible] बनाम इण्डियन मेडिसिन बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.8.95 रिट याचिका संख्या-46034/93 अजमल खाँ तिब्बिया कालेज, मुजफ्फरनगर बनाम इण्डियन बोर्ड आफ मेडिसिन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 7.1.94 रिट याचिका संख्या- [illegible] आफ 1992 भारत तिब्बिया कालेज बनाम इण्डियन मेडिसिन बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.6.92 तथा दिनांक 4.11.93 एवं दिनांक 3.1.94 के अनुपालन में इन संस्थाओं द्वारा दिये गये विभिन्न प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुए सहारनपुर तिब्बिया कालेज, सहारनपुर, अजमल खाँ तिब्बिया कालेज, मुजफ्फरनगर एवं भारत तिब्बिया कालेज, सहारनपुर से चार वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण छात्रों के रजिस्ट्रेशन की आवश्यक कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों के अधीन करने का कष्ट करें :-

1. केवल उन्हीं संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों का रजिस्ट्रेशन सन् 1997

2. इन संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्र किसी भी प्रकार से सरकारी सेवा के लिए अर्ह नहीं होंगे। वे केवल निजी प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत होंगे।

3. इन संस्थाओं में प्रवेश, परीक्षा, पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ के शर्तों/नियमों के अधीन होगी।

उक्त आदेश मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या-22903 आफ 1995 में पारित आदेश दिनांक 23.8.1995 तथा रिट याचिका संख्या-46834/93 में पारित आदेश दिनांक 7.1.94 के अधीन होगी, जो उक्त रिट तथा इसी प्रकार की अन्य रिट याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के अनुसार आवश्यकतानुसार संशोधित/निरस्त किए जा सकते हैं।

भवदीय,

(राम भरत दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या-1256(1)/71-2/इक्कू-409/95 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, 60-65 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।
3- सम्बन्धित संस्थाओं के सचिव/प्रधानाचार्य।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
उप सचिव।

संख्या-6344/71-2-98-35 चि0का0/97

प्रेषक,

श्री [illegible] अग्रवाल
सचिव,
चिकित्सा शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक:- 24 दिसम्बर, 1998

विषय:-उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन एवं प्रबन्ध) उपबन्ध अधिनियम, 1982 की धारा-8 के प्राविधानों के संबंध में।

महोदय,

आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा देने वाली कतिपय गैर-सरकारी संस्थाओं का अर्जन और प्रबन्ध करने, ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा का प्रान्तीयकरण करने, प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा में शिक्षा देने को विनियमित करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए, उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन एवं प्रबन्ध) उपबन्ध अधिनियम 1982 की अधिसूचना दिनांक 17.6.82 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-(2) के अधीन राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या-3118सेक-9/5-1(?)/80 दिनांक 2.7.82 को एक सेवा दिनांक नियत किया गया था जबसे उक्त अधिनियम प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत धारा-9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति नियत दिनांक 2 जुलाई, 1982 को या उसके पश्चात्:-(क) आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में किसी शिक्षण कार्य का भार लेने या उसके संचालन, व्यवस्था या प्रशासन की प्रव्यंजना करने वाली किसी संस्था को न तो खोलेगा, न उसका संगठन, अनुरक्षण या प्रबन्ध करेगा और न उसे चलवायेगा, न उसका संगठन, अनुरक्षण या प्रबन्ध करायेगा।

(ख) ऐसी चिकित्सा पद्धति में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम में चाहे फीस का भुगतान करने पर या ऐसे भुगतान के बिना न तो कोई भर्ती करेगा और न भर्ती करने की प्रस्थापना करेगा।

(ग) ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षण प्रदान करने वाली किसी संस्था के सम्बन्ध में कोई दान, अभिदान या फीस, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, लेगा।

....2

[illegible]

ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से व्याख्यान, परीक्षा के लिये तैयार करने या अध्यापन का या किसी प्रयोगशाला में प्रयोग करने का न तो कोई प्रतिबंध रहेगा और न यह प्रवृत्त होगा कि ऐसा प्रबंध किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में कतिपय कालेजों द्वारा नियत तिथि के बाद प्रविष्ट छात्रों को भारतीय चिकित्सा परिषद, लखनऊ द्वारा चिकित्सक के रूप में पंजीकृत का प्रकरण लाये जाने पर, चिकित्सा विभाग के शासनादेश सं0-6916/सेक्-9/पां0-93-376/91, दिनांक अक्टूबर, 1993 के माध्यम से भारतीय चिकित्सा परिषद, लखनऊ को पंजीकरण में कतिपय निर्देश दिये। इस शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी प्रकरण विशेष में मा0उच्च न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त हुआ हो तो उस प्रकरण में न्याय विभाग से विधिक राय प्राप्त कर कार्यवाही की जाये।

3- शासन के संज्ञान में आया है कि ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया है कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन एवं प्रबंध उपबन्ध) अधिनियम 1982 के लागू हो जाने के पश्चात इस चिकित्सा पद्धति में निजी शिक्षण संस्थायें चलाने पर, अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर, पूरी रोक लग गयी है। वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। इस अधिनियम की धारा-8 में स्पष्ट प्राविधान है कि केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पर ऐसी संस्था चलाने पर प्रतिबन्ध नहीं है।

4- शासन ने इस विषय पर विचारोपरान्त तथा विधिक परामर्श प्राप्त कर लेने के पश्चात यह निर्णय लिया है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में जो व्यक्ति/संस्था डिग्री पाठ्यक्रम चलाने का इच्छुक हो, तो उसे इस संबंध में प्रस्ताव निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करना होगा। निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा, उत्तर प्रदेश द्वारा इस संबंध में जांचोपरान्त अपना अभिमत उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया जायेगा जिसके आधार पर शासन द्वारा व्यक्ति/संस्था को अनापत्ति दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिये संस्थान को वह सभी मापदण्ड पूरे करने होंगे जो केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा केन्द्र/परिषद नई दिल्ली द्वारा नियत किये गये हैं। उत्तर प्रदेश शासन की अनापत्ति के बाद संस्था को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद से अनुमति प्राप्त करनी हो[illegible] विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना होगा।

Scanned by CamScanner

5- यदि कोई व्यक्ति /संस्था चिकित्सा व्यवसाय ..... करने के लिए प्रस्तुत हो तो उन्हें निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव प्रेषित करना होगा। निदेशक, आयुर्वेद द्वारा इस संबंध में आवश्यकतानुसार अपना अभिमत शासन को भेजा जायेगा जिसके आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संबंधित संस्था/व्यक्ति को प्रतिबन्ध किये जाने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते वह भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करता हो।

6- उक्त अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात कतिपय संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा प्रवेश एवं पंजीकरण को लेकर मा0उच्च न्यायालय में समय-समय पर वाद भी दायर किये हैं तथा मा0उच्च न्यायालय ने इन वादों में अन्तरिम आदेश भी पारित किये हैं। शासन द्वारा इस पर भी विचार किया गया तथा विधिक परामर्श भी प्राप्त किया गया। यह पाया गया है कि मा0उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का तत्काल अनुपालन किया जाना चाहिए। अन्यथा अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि मा0उच्च न्यायालय के आदेशों का तत्काल अनुपालन हो जाय। इसके साथ-साथ सभी संस्थाओं को निर्देश दे दिया जाये कि भविष्य में छात्रों को प्रवेश देने के पहले वह संस्था संचालन के लिये शासन की अनुमति प्रस्ताव के अनुसार प्राप्त कर लें।

ह0/-
(राकेश अग्रवाल)
सचिव।

संख्या:- 6344(1)/71-2-93-35(वि0का0)/90 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, मुख्यमंत्री।

2- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

3- सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 60-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।

4- रजिस्ट्रार भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(श्याम कृष्ण दुबे)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

ANNEXURE-No-1

(7)

(12)

ANNEXURE-No-1

गोपनीय/तात्कालिक प्राथमिकता
संख्या:-एम.050/71-2-99-224/99

प्रेषक,

श्री राकेश कुमार मित्तल
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
भारतीय चिकित्सा परिषद
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक: 06 अगस्त, 1999

विषय:- चतुर्थ वर्षीय पाठ्यक्रम के स्नातकों के पंजीकरण पर रोक लगाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह आया है कि प्रदेश में स्थापित निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों के ऐसे चतुर्थ वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातकों का पंजीकरण किया जा रहा है, जिन संस्थाओं को शासन द्वारा पंजीकरण के संबंध में कोई अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से निजी क्षेत्र में स्थापित समस्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों के चतुर्थ वर्षीय पाठ्यक्रम के स्नातकों का पंजीकरण अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

2- इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो।

भवदीय,

राकेश कुमार मित्तल
सचिव।

संख्या:-एम.050(1)/71-2-99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1- निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
2- सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद, उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से,

राम दुलारे दुबे
संयुक्त सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या:- 306/71-2-2001-डब्लू-409/95

प्रेषक,

श्री ईश्वरी लाल टम्टा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0 प्र0,
7-लालबाग,
लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग- 2 लखनऊ : दिनांक 26 सितम्बर, 2001

विषय:- चतुर्थ वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण छात्रों का रजिस्ट्रेशन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 1256/71-2- डब्लू 409/95 दिनांक 28.4.1998 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या-शून्य आफ 1994 भारत तिब्बिया कालेज सहारनपुर बनाम इंडियन मेडिसिन बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 3.1.94 , रिट याचिका संख्या 46655 आफ 1999 हकीम मो0 अकरम सेक्रेटरी अजमल खां तिब्बिया कालेज मुजफ्फर नगर बनाम स्टेट आफ यू0 पी0एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 3 नवम्बर 1999 तथा रिट याचिका संख्या 46666 आफ 1999 हकीम मो0 मुनीर अतहर, प्रधानाचार्य, बनाम रजिस्ट्रार, इंडियन मेडिसिन बोर्ड में पारित आदेश दिनांक 3 नवम्बर, 1999 के अनुपालन में तथा इन अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा दिये गये विभिन्न प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुए सहारनपुर तिब्बिया कालेज सहारनपुर, अजमल खां तिब्बिया कालेज, मुजफ्फर नगर एवं भारत तिब्बिया कालेज सहारनपुर से चतुर्थ वर्षीय यूनानी डिप्लोमा पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण छात्रों के पंजीकरण की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. प्रश्नगत संस्थाओं से वर्ष 2001 तक के उत्तीर्ण छात्रों का पंजीकरण परिषद द्वारा किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्र उक्त संस्थाओं में से एक में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत था तथा बोनाफाइड छात्र होने के मार्कशीट/फीस रसीद, उपस्थिति पंजिका, परीक्षा का अनुक्रमांक व परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र के अनुसार ही छात्र रहा है ।

-----2/-

§2§ संस्था आगामी सत्र में छात्रों का तब तक प्रवेश नहीं लेगी जब तक राज्य सरकार [illegible] पाठ्यक्रम चलाने हेतु मानकों/मानकों का निर्धारण नहीं कर लेती तथा उन मानकों के आधार पर [illegible] द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाती ।

§3§ इन संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्र किसी भी प्रकार से सरकारी सेवा के लिए अर्ह नहीं होंगे । वे केवल निजी प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत होंगे ।

§4§ इन संस्थाओं में प्रवेश, परीक्षा, पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा परिषद,उ0 प्र0 ,लखनऊ की शर्तों एवं नियमों के अधीन होगा ।

§5§ उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लंबित रिट याचिका शून्य आफ 1999, रिट याचिका संख्या 46655आफ 1999 तथा रिट याचिका संख्या 46666आफ 1999/पारित अंतिम निर्णय के अनुसार आवश्यकतानुसार संशोधित /निरस्त किया जा सकेगा ।

2- शासनादेश संख्या एम-858/71-2-99-294/1999 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त तीनों संस्थाओं के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य किसी निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक एवं यूनानी संस्था/कालेज से उत्तीर्ण चतुर्थ वर्षीय [illegible] डिप्लोमाधारी का पंजीकरण नहीं किया जायेगा ।

भवदीय,

§ईश्वरी लाल दम्टा§
उप सचिव ।

संख्या:-3061 §1§/71-2-2001-डब्लू409/95 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ0 प्र0, लखनऊ ।
2. सचिव, भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद,जनकपुरी, नई दिल्ली ।
3. सम्बन्धित संस्थाओं के सचिव/प्रधानाचार्य ।
4. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

§ईश्वरी लाल दम्टा§
[illegible] सचिव ।

Scanned by CamScanner

संख्या:- 3061 /71-2-2001-डब्लू-409/95

प्रेषक,

श्री ईश्वरी लाल टमटा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
भारतीय चिकित्सा परिषद,उ0 प्र0,
7-लालबाग,
लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग- 2 लखनऊ : दिनांक 26 सितम्बर, 2001

विषय:- चतुर्थ वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण छात्रों का रजिस्ट्रेशन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 1256/71-2- डब्लू 409/95 दिनांक 28.4.1998 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या-शून्य आफ 1994 भारत तिब्बिया कालेज सहारनपुर बनाम इंडियन मेडिसिन बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 3.1.94 ,रिट याचिका संख्या 46655 आफ 1999 हकीम मो0 अकरम मेहदी अजमल खां तिब्बिया कालेज मुजफ्फर नगर बनाम स्टेट आफ यू0 पी0एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 3 नवम्बर 1999 तथा रिट याचिका संख्या 46666 आफ 1999 हकीम मो0 मुनीर अतहर, प्रधानाचार्य, बनाम रजिस्ट्रार, इंडियन मेडिसिन बोर्ड में पारित आदेश दिनांक 3 नवम्बर, 1999 के अनुपालन में तथा इन अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा दिये गये विभिन्न प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुए सहारनपुर तिब्बिया कालेज सहारनपुर, अजमल खां तिब्बिया कालेज, मुजफ्फर नगर एवं भारत तिब्बिया कालेज सहारनपुर से चतुर्थ वर्षीय पुरानी डिप्लोमा पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण छात्रों के पंजीकरण की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. प्रश्नगत संस्थाओं से वर्ष 2001 तक के उत्तीर्ण छात्रों का पंजीकरण परिषद द्वारा किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्र उक्त संस्थाओं में से एक में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत था तथा बोनाफाइड छात्र होने के मार्कशीट/फीस रसीद,उपस्थिति पंजिका,परीक्षा का अनुक्रमांक व परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र के अनुसार ही छात्र रहा है ।

-------2/-

(2) संस्था आगामी सत्र में छात्रों का तब तक प्रवेश नहीं लेगी जब तक राज्य सरकार डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने हेतु मानकों/मानकों का निर्धारण नहीं कर लेती तथा उन मानकों के आधार पर [illegible] द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाती ।

(3) इन संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्र किसी भी प्रकार से सरकारी सेवा के लिए अर्ह नहीं होंगे । वे केवल निजी प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत होंगे ।

(4) इन संस्थाओं में प्रवेश, परीक्षा, पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ की शर्तों एवं नियमों के अधीन होगा ।

(5) उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका शून्य आफ 1994, रिट याचिका संख्या 46655 आफ 1999 तथा रिट याचिका संख्या 46666 आफ 1999 पारित अंतिम निर्णय के अनुसार आवश्यकतानुसार संशोधित /निरस्त किया जा सकेगा ।

2- शासनादेश संख्या एम-858/71-2-99-294/1999 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त तीनों संस्थाओं के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य किसी निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक एवं यूनानी संस्था/कालेज से उत्तीर्ण चतुर्थ वर्षीय [illegible] डिप्लोमाधारी का पंजीकरण नहीं किया जायेगा ।

भवदीय,

(ईश्वरी लाल टम्टा)
उप सचिव ।

संख्या:-3061 (1)/71-2-2001-इक्स0409/95 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ0 प्र0, लखनऊ ।
2. सचिव, भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद, जनकपुरी, नई दिल्ली ।
3. सम्बन्धित संस्थाओं के सचिव/प्रधानाचार्य ।
4. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(ईश्वरी लाल टम्टा)
सचिव ।

Scanned by CamScanner

संख्या-838/सीएम/71-2-04-99/2004

प्रेषक,

जी0डी0त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
भारतीय चिकित्सा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक:-16 दिसम्बर, 04

विषय:- शिफाउल मुल्क तिब्बिया कालेज, मुजफ्फरनगर एवं पैन्ज आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, सहारनपुर, के चतुर्थ वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों के पंजीकरण किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-350/मा0चि0प0रजि0मा0/04, दिनांक-9.7.2004 के संदर्भ में रिट याचिका संख्या-4067(एस/बी)/2004 शिफाउल मुल्क तिब्बिया कालेज, मुजफ्फरनगर बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक-26.8.2004 एवं रिट याचिका संख्या-1899(एस/बी)/2004 पैन्ज आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, सहारनपुर बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित निर्णय दिनांक-19.4.2004 के अनुपालन में प्रश्नगत संस्थाओं द्वारा दिये गये विभिन्न प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था(अर्जन एवं प्रकीर्ण)उपबन्ध)अधिनियम 1982 की धारा-10 के प्राविधानों अन्तर्गत शिफाउल मुल्क तिब्बिया कालेज, मुजफ्फरनगर एवं पैन्ज आयुर्वेदिक कोलज, सहारनपुर से चतुर्थ वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों के पंजीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(1) प्रश्नगत संस्थाओं से वर्ष 2004 तक के उत्तीर्ण छात्रों का पंजीकरण परिषद द्वारा किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्र उक्त संस्थाओं में अध्ययनरत् था तथा बोनाफाइड छात्र होने के मापदण्ड(फीस, रसीद, उपस्थिति पंजिका, परीक्षा अनुक्रमांक एवं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र)के अनुसार छात्र रहा है ।

(2) उक्त संस्थायें आगामी सत्र में छात्रों का प्रवेश तब तक नहीं लेगी जब तक राज्य सरकार डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने हेतु मापदण्ड/मानकों का निर्धारण नहीं कर लेती तथा उन मापदण्डों/मानकों के आधार पर संस्था सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेती ।

(3) इन संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्र किसी भी प्रकार से सरकारी सेवा के लिए अर्ह नहीं होगें । वे केवल निजी प्रेक्टिस करने के लिए अधिकृत होगें । उक्त आशय का वैधानिक विज्ञापन/सूचना समाचार पत्रों एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड में संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा ।

(4) इन संस्थाओं में तत्समय लिये गये प्रवेश परीक्षा एवं पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा परिषद उ0प्र0 लखनऊ शर्तों एवं नियमों के अधीन होगा ।

(5) उक्त संस्थाओं के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य किसी निजी क्षेत्र के अंतर्गत कालेज/संस्थाओं से उत्तीर्ण चतुर्थ वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का पंजीकरण नहीं किया जायेगा ।

2- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय

(जी0डी0त्रिपाठी)
विशेष सचिव ।

Scanned by CamScanner

संख्या:-838(सीएम)1)/71-2-04 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
2- सचिव, भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली ।
3- सम्बन्धित संस्थाओं के प्रबन्धक/सचिव ।
4- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से
ह0/-
(सरजन)
उपसचिव ।

कार्यालय
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

संख्या:- 56 /4601/2001/शिक्षा दिनांक:- 7/11/05

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- उपसचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0शासन को पत्रांक-838(1)/71-2-2004-99/2004 दि0-16.12.2004 के संदर्भ में ।

2- रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषद उ0प्र0लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि शासन के उक्त आदेशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

(डा0रक्षा गोस्वामी)
प्रभारी अधिकारी, शिक्षा
कृते निदेशक, आयुर्वेद ।

Scanned by CamScanner

संख्या: 2206MP /71-2-2004-W-409/95

प्रेषक,

जे०पी० शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
भारतीय चिकित्सा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2004

विषय:- चतुर्थ वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण छात्रों के पंजीकरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3061/71-2-2004-W-409 /95 दिनांक 26-9-2001 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण) (उपबन्ध) अधिनियम-1982 की धारा-10 के अन्तर्गत संचालित अजमल खॉ तिब्बिया कालेज, मुजफ्फरनगर, भारत तिब्बिया कालेज, सहारनपुर एवं सहारनपुर तिब्बिया कालेज, सहारनपुर द्वारा दिये गये विभिन्न प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुए उक्त अल्प संख्यक संस्थाओं से चतुर्थ वर्षीय यूनानी डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों के पंजीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है:-

1- प्रश्नगत संस्थाओं से वर्ष 2004 तक उत्तीर्ण एवं प्रविष्ट छात्रों का पंजीकरण परिषद द्वारा किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्र उक्त संस्थाओं में अध्ययनरत था तथा बोनाफाइड छात्र होने के मापदण्ड, फीस रसीद, उपस्थिति पंजिका, परीक्षा अनुक्रमांक एवं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र के अनुसार छात्र रहा है।

2- उक्त संस्थायें आगामी सत्र में छात्रों का प्रवेश तब तक नहीं लेगी जब तक राज्य सरकार डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने हेतु मापदण्ड/मानकों का निर्धारण नहीं कर लेती तथा उन मापदण्डों/मानकों के आधार पर संस्था सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेती ।

3- इस संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्र किसी भी प्रकार से सरकारी सेवा के लिए अर्ह नहीं होगें। ये केवल निजी प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत होगें। उक्त आशय का वैधानिक विज्ञापन/सूचना समाचार पत्रों एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड में संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा।

4- इन संस्थाओं में लिए गये प्रवेश, परीक्षा एवं पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की शर्तो एवं नियमों के अधीन होगा।

Scanned by CamScanner

5- उक्त संस्थाओं के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य किसी निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कालेज/संस्था से उत्तीर्ण चतुर्थ वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का पंजीकरण नहीं किया जायेगा।

2- कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे०पी० शर्मा)
सचिव।

संख्या: 220(1)/71-2 -2004,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
2- सचिव, भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली।
3- संबंधित संस्थाओं के प्रबन्धक/सचिव।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

संख्या : 394 71-2-05-W-133/2004

जी.डी. त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
भारतीय चिकित्सा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -2 लखनऊ : दिनांक : ५ मार्च 2005

विषय : महर्षि चरक आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज देवबन्द सहारनपुर से चतुर्थ वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों के पंजीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या- 490/भा.चि.प.रजि./04 दिनांक 25.11.2004 के संदर्भ में रिट याचिका संख्या 3629 (M/S)/2004 महर्षि चरक आयुर्वेदिक एव यूनानी मेडिकल कालेज देवबन्द सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2004 के अनुक्रम में प्रश्नगत संस्था द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 17.01.2005 पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था अर्जन एवं प्रकीर्ण (उपबन्ध) अधिनियम 1982 की धारा (10) के प्राविधानों के अन्तर्गत अल्पसंख्यक संस्था महर्षि चरक आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज देवबन्द सहारनपुर से चतुर्थ वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों को पंजीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :-

1. प्रश्नगत संस्था से वर्ष 2004 तक के उत्तीर्ण छात्रों का पंजीकरण परिषद द्वारा किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्र उक्त संस्था में अध्ययनरत था तथा बोनाफाइड छात्र होने के मापदण्ड/फीस रसीद, उपस्थिति, पंजीका, परीक्षा, अनुक्रमांक एवं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र के अनुसार छात्र रहा है।

2. उक्त संस्था आगामी सत्र में छात्रों का प्रवेश तब तक नहीं लेगी तब तक राज्य सरकार डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने हेतु मापदण्ड/मानकों का निर्धारण नहीं कर लेती तथा उन मापदण्डो/मानकों के आधार पर संस्था सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेती।

क्रमशः..... 2

Scanned by CamScanner

3. इस संस्था से उत्तीर्ण छात्र किसी प्रकार से सरकारी सेवा के लिए अर्ह नहीं होगे। वे केवल निजी प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत होगें। उक्त आशय का वैधानिक विज्ञापन/सूचना समाचार पत्रों एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड में संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा।

4. इस संस्था में तत्समय किये गये प्रवेश परीक्षा एवं पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की शर्तो एवं नियमों के अधीन होगा।

5. इस संस्था के अतिरिक्त प्रदेश के किसी अन्य निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कालेज/संस्था से उत्तीर्ण चतुर्थ वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का पंजीकरण नहीं किया जायेगा।

2. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जी. डी. त्रिपाठी)
विशेष सचिव

संख्या...२७५...(1) /71-2-05 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली।
3. प्रबन्धक, महर्षि चरक आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज देवबन्द सहारनपुर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन)
उप सचिव

Scanned by CamScanner

आदेश

प्रेषक,

जी०डी० त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

/71-2-2005-डब्लू-12

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग--2

लखनऊ: दिनांक: 01 जुलाई, 2005

विषय:-- अवमाननावाद संख्या-820/2002 श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0पी0 वर्मा, मुख्य सचिव व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.5.2005 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1982 द्वारा यह प्राविधान किया गया है कि कोई भी गैर सरकारी संस्था राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रदेश में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्वति से संबंधित शिक्षण पाठ्यक्रम संचालित नहीं करेगी। उक्त प्राविधान के बावजूद कतिपय गैर सरकारी/निजी संस्थाओं द्वारा आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सा पद्वति के चतुर्थ वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की सूचना राज्य सरकार को प्राप्त होने पर शासन के आदेश दिनांक 18.10.93 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को इस आशय के निर्देश भेजे गये कि अवैध रूप से संचालित डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्थाओं के विरूद्व कार्यवाही की जाय तथा ऐसी संस्थाओं को बन्द कराया जाय।

2-- उक्त शासनादेश के विरूद्व कतिपय अल्प संख्यक संस्थाओं द्वारा अर्जन प्रकीर्ण अधिनियम 1982 की धारा-10 के प्राविधानों के आधार पर उक्त संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों के पंजीकरण किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दाखिल की गयी। उक्त रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-838सीएम/71-2-2004-99/2004 दिनांक 16.12.2004 द्वारा शिफाउल उल मुल्क तिब्बिया कालेज, मुजफ्फरनगर एवं फैज आयुर्वेदिक कालेज, सहारनपुर के वर्ष 2004 तक चतुर्थ वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों के पंजीकरण की अनुमति तथा शासनादेश संख्या-220एमपी/71-2-2004-डब्लू-409/95 दिनांक 27.12.2004 द्वारा अजमल खॉं तिब्बिया कालेज मुजफ्फरनगर, भारत तिबिब्या कालेज सहारनपुर एवं सहारनपुर तिब्बिया कालेज, सहारनपुर के वर्ष 2004 तक उत्तीर्ण एवं प्रविष्ट चतुर्थ वर्षीय डिप्लोमा छात्रों के पंजीकरण की अनुमति तथा शासनादेश संख्या-394/71-2-2005-डब्लू-133/2004 दिनांक 4.3.2005 द्वारा महर्षि चरक आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज, सहारनपुर के वर्ष 2004 तक चतुर्थ वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों के पंजीकरण की अनुमति प्रदान की गयी।

3-- उक्त संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों के पंजीकरण आदेश के विरूद्व डा0 आर0के0 यादव महामंत्री (नीमा) द्वारा अवमाननावाद संख्या-820/2002 श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0पी0 वर्मा, मुख्य सचिव व अन्य में दायर हस्तक्षेप याचिका संख्या-77269/05 के सन्दर्भ में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है:--

Under the directions of this Court the state Govt. has already published a list of authorised Colleges offering reconnised Course in Ayurvedic and Unani and Tibbi System of Medicine. This publication published under the authority of Director Ayurvedic and Unani Services, Lucknow dated 3-5-2005 has been published in Amar Ujala, dated 6-5-2005. It does not include these five colleges. This advertisement clearly established that the State Govt. had never reconised these Five colleges. Let fresh advertisement be published by the State Govt. that the diploma course of these five colleges are unauthorised, and that these persons shall be struck of the register and are not entitle to practice.

Sri C.L. Pandey, Learned Counsel for objector has made a prayer that may be given apportunity to make an application for recongnition under section 13-C of the Indian Medicine Central Council (Amendment) Act 2003 the prayer is allowed. But untill the recognition is given, these five colleges shall not admit any students to their colleges and shall cease to continue and offer any course of qualification of Indian Medicine. The distt. Magistrate and Senior Superintendent of police Saharanpur and Muzaffarnagar or made responsible to see that these colleges do not function untill their courses are fully recognised by the State Govt. as well as by the Central Council of

Scanned by CamScanner

Indian Medicine. In case these institutions carry out any activity in violation of the order passed by this court. They will be prosecuted and their permisses shall be sealed.

4– मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामले में कृपया निम्नलिखित कार्यवाही तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें–

> दैनिक समाचार पत्रों में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित करायें कि उपरोक्त संस्थायें राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। अतएव उक्त संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्र भारतीय चिकित्सा परिषद उ0प्र0 में वैद्य/हकीम के रूप में पंजीकृत किये जाने एवं चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अर्ह नहीं है। इसके साथ ही पंजीकरण पुस्तिका में दर्ज किये गये ऐसे छात्रों अतः उनके पंजीकरण को निरस्त करते हुए पंजीकरण पुस्तिका से उनके नामों को हटाने हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषद उ0प्र0 लखनऊ को निर्देशित करें।

> रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को अपने स्तर से निर्देशित करें, कि वे उक्त संस्थाओं के पंजीकृत वैद्यों/हकीमों का पंजीकरण निरस्त करते हुए पंजीकरण पुस्तिका से उनके नाम पृथक कर दें तथा कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत करायें।

> जनपद सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर के साथ–साथ समस्त जनपदों के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से यह अनुरोध करें, कि वे उक्त संस्थाओं को जब तक राज्य सरकार तथा केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्रदान नहीं हो जाती है, तब तक वे इस प्रकार के शिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं करेगें और यदि वे इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए इस प्रकार का कोई क्रिया कलाप करते हुए पाये जाय तो उनके संचालकों के विरूद्व अभियोजन की कार्यवाही के साथ–साथ उनके संस्थानों को सील कर दिया जाय।

भवदीय,

(जी0डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या: 30/2(1)/71–2–2005, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली।
3– समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
4– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनउऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner